

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं / 7961


दिनांक 26/12/2020

कार्यालय आदेश

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर में कार्यरत वनरक्षकों को इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 7291 दिनांक 12.12.2019 द्वारा उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में दिनांक 06.01.2020 से प्रारम्भ किये जा रहे तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण दिलवाये जाने के संबंध में नामांकित किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रचलित किये जाते हैं।

क्र.सं.	वनपाल का नाम	नाम वनमण्डल
1.	श्री विजय सिंह	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर
2.	श्रीमती कृष्णा	
3.	श्रीमती उर्मिला कुमारी मीणा	

उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर उक्त वनरक्षकों को उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में उपस्थिति देने हेतु भारमुक्त किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें।




(दीपक भटनागर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)

राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(7) 2018 / कार्मिक-भर्ती / प्रशि. / पार्ट-III / प्रमुवसं / 7962-67 दिनांक 26-12-2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर को पालनार्थ प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को उनके पत्र क्रमांक 9825 दिनांक 23.12.2019के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त कर्मचारी को उप वन संरक्षक प्रशिक्षण स्कूल, अलवर में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तत्काल भारमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्युटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) ।
6. रक्षित पत्रावली ।

  
(एच.के.सारस्वत)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित-प्रस्थापना)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान जयपुर